

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 16/2017

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. परामर्शदाता (सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छोड़कर) से के रूप में नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति के समय निर्धारित किए गए पारिश्रमिक में दिनांक 01/07/2017 से 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हैं, जो निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पद का नाम	ग्रेड वेतन	2017 में प्रारंभिक नियुक्ति के समय पारिश्रमिक	01/04/2017 से विद्यमान पारिश्रमिक	पारिश्रमिक में 01/07/2017 से प्रस्तावित संशोधन
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1.	वरिष्ठ परामर्शदाता (एल एस)	7600	50,000 / -	65,000 / -	70,000 / -
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	6600	46,000 / -	59,800 / -	64,400 / -
3.	उप निदेशक (वास्तुकला) / वास्तुविद	6600	46,000 / -	59,900 / -	64,400 / -
4.	भूदृश्य वास्तुविद	6600	43,000 / -	55,000 / -	60,200 / -
5.	सहायक निदेशक (एल एस) सहायक वास्तुविद निदेशक (एल एस ए)	5400	38,000 / -	49,400 / -	53,200 / -
6.	सहायक निदेशक (वास्तुविद) सहायक वास्तुविद	5400	38,000 / -	49,400 / -	53,200 / -
7.	सहायक निदेशक (योजना) योजना अधिकारी	5400	38,000 / -	49,400 / -	53,200 / -
8.	सहायक लेखा अधिकारी (सी ए/सी एस/आई सी डब्ल्यू ए/एम बी ए (एफ))	4800	34,000 / -	44,200 / -	47,600 / -

9.	कनिष्ठ अधिकारी	विधि	4800	33,000 / -	42,900 / -	46,200 / -
10.	वास्तुकला सहायक		4600	31,000 / -	40,300 / -	43,400 / -
11.	विधि सहायक		4600	28,000 / -	36,400 / -	39,200 / -
12.	ड्राफ्टमैन		2400	17,000 / -	22,100 / -	23,800 / -

2. दिनांक 01/01/2017 से पहले नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं (सेवानिवृत्त अधिकारियों को छोड़कर) के मामले में पारिश्रमिक उक्त तालिका के कॉलम (च) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। परामर्शदाताओं (सेवानिवृत्त अधिकारियों को छोड़कर) के पारिश्रमिक में उनकी नियुक्ति की तिथि पर ध्यान न देते हुए दिनांक 01/07/2017 को निर्धारित/भुगतान किए गए वेतन पर दिनांक 01/04/2018 से 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

3. जून-जुलाई, 2017 में नियुक्त किए गए परामर्शदाता सहायक लेखा अधिकारियों के पारिश्रमिक को 35,000/- से बढ़ाकर 40,000/- प्रति माह कर दिया गया है और यह 01 अगस्त, 2017 से प्रभावी होगा। उनके पारिश्रमिक में दिनांक 01/07/2017 को निर्धारित किए गए वेतन में दिनांक 01/04/2018 से उक्त पैरा-2 के अनुसार 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

4. नई भर्ती के मामले में उक्त तालिका के कॉलम (ड) के अनुसार पारिश्रमिक देय होगा।

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखाधिकारी

सं. एफ.ई. 16(24)/2008/डीडीए/वॉल.-VI/382

दिनांक : 10/08/2017

प्रतिलिपि :

1. उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के निजी सचिव को उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के सूचनार्थ।
2. सभी प्रधान आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी।
3. सभी मुख्य अभियंता।
4. आयुक्त एवं सचिव/आयुक्त (कार्मिक)/मुख्य विधि सलाहकार/आयुक्त (योजना)/मुख्य वास्तुकार/अपर आयुक्त (भूदृश्य)।
5. निदेशक, कार्मिक-I एवं II/निदेशक सतर्कता-I।
6. उप निदेशक (कार्मिक)-I।

7. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)– I/उप मुख्य अधिकारी (रोहिणी)/उप मुख्य लेखा अधिकारी (सतर्कता)।
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, आकस्मिक/प्रारंभिक अनुमान/वेतन एवं लेखा अधिकारी (ई डब्ल्यू/खेल)।
9. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)